विविध **बैंक प्रकरण संख्या 16/2021.**(GCMS : 2021/31) **ए यू स्मॉफ लाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) कार्यालय – 25–ए, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर, जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता, जरिये – पोर्टफोलियो मैनेजर, प्राधिकृत अधिकारी मनोज भाकर पुत्र श्री महावीर प्रसाद बनाम 1. श्यामलाल** पुत्र शिवलाल निवासी दुलापुरा केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर **2.मंजू पत्नी श्याम लाल** निवासी वार्ड नं 2, दुलापुरा केरी, 5 डी बडी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री राजीव मेहन्दीरत्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 01.03.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण श्याम लाल एवं मंजू को ऋण सुविधा के रूप में 3.50/– लाख रूपये (अखरे रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र) का ऋण दिनांक 31.10.2018. स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मंजू देवी की **सम्पत्ति गांव दुलापुरा केरी, पट्टा नं. 86, बुक नं. 297 (क्षेत्रफल 1302 वर्गफुट) तहसील व जिला श्रीगंगानगर** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 10.02.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 12.02.2021 को 3,97,066/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर प्रार्थी ... को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक ...2020 को उक्त बकाया राशि**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:17:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण श्याम लाल एवं मंजू देवी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.03.2020 को भिजवाये गये है तथा दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रैस एवं राष्ट्रदूत, बीकानेर में दिनांक 28.08.2022 को प्रकाशित भी करवाये गये है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी मंजू देवी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी सम्पत्ति गांव दुलापुरा केरी, पट्टा नं. 86, बुक नं. 297 (क्षेत्रफल 1302 वर्गफुट) तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण श्याम लाल एवं मंजू देवी** को 3.50/—लाख रूपये (अखरे रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 31.10.2018 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी मंजू देवी की सम्पत्ति गांव दुलापुरा केरी, पट्टा नं. 86, बुक नं. 297 (क्षेत्रफल 1302 वर्गफुट) तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 10.02.2020 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** [illegible] बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 11.03.2020 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.03.2020 को भिजवाया गया, जिसकी स्वयं पर तामील की रसीद पत्रावली में उपलब्ध न[illegible] है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रैस एवं राष्ट्रदूत, बीकानेर में दिनांक 28.08.2020 को प्रकाशित भी करवाये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:17:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रे[illegible]
श्रीगंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी मंजू देवी द्वारा अपनी सम्पत्ति गांव दुलापुरा केरी, पट्टा नं. 86, बुक नं. 297 (क्षेत्रफल 1302 वर्गफुट) तहसील व जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 11.03.2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.03.2020 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थी मंजू की प्राप्ति रसीद पर किसी शालू के हस्ताक्षर है तथा अप्रार्थी श्याम लाल की पावती रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। रजिस्टर्ड डाक से ता[illegible] होने के कारण प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणियों की सम्प[illegible] 13(2) [illegible] की चस्पादंगी कर, दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रैस एवं राष्ट्र[illegible] बीकानेर में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:17:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मंजू देवी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड) का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और मंजू देवी की सम्पत्ति गांव दुलापुरा केरी, पट्टा नं. 86, बुक नं. 297 (क्षेत्रफल 1302 वर्गफुट) तहसील व जिला श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:17:01 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर